कार्यालयः— मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू (राज.)

क्रमांक 981 दिनांक 04.09.2023

कार्यालय आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2023—24 के बिन्दु संख्या—136.03.0.324.02.0 की क्रियान्वति के कम में राज्य सरकार गृह विभाग द्वारा जारी स्वीकृति कमांक एफ.27(क)(1) गृह—2/2023 दिनांक 10.04.2023 स्वीकृति संख्या—06/ 2023—24 एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (पुनर्गठन एवं नियम) राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक ए—21(6) पुनर्गठन/जन/बजट घोषणा/2023—24/966 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा जिला झुन्झुनू में पुलिस थाना सुलताना एवं पुलिस थाना गोठड़ा का नवसृजन किया गया है। उक्त पुलिस थाना सुलताना एवं पुलिस थाना गोठड़ा का नव सृजन किए जाने पर माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झुन्झुनू के अनुमोदन के उपरान्त, मैं पुरवा चतुर्वेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(1) व 15(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिलानी/नवलगढ़, न्यायिक मजिस्ट्रेट चिड़ावा एवं न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नवलगढ़ की स्थानीय क्षेत्राधिकारिता निम्नानुसार परिनिश्चित करती हूं :—

कम संख्या	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
		चिड़ावा मुख्यालय
1.	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा	1. पुलिस थाना चिड़ावा में उदभुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिलानी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण), 2. आबकारी थाना चिड़ावा में उदभुत होने वाले आपराधिक प्रकरण 3. नवसृजित पुलिस थाना सुलताना में उदभुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिलानी के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
		पिलानी मुख्यालय
1.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी	1. पुलिस थाना पिलानी के क्षेत्राधिकार में उदभुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण तथा एनआईएक्ट प्रकरणों को छोड़कर), 2. पुलिस थाना चिड़ावा, मण्ड्रेला और सूरजगढ़ के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण 3. नवसृजित पुलिस थाना सुलताना के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले धारा 467, 468, 471, 477, 326, 409, 394 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज प्रकरण

नवलगढ़ मुख्यालय		
1.	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़	1. पुलिस थाना नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार में उदभुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार एवं ग्राम न्यायालय नवलगढ़ के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण), 2. नवलगढ़ तहसील के क्षेत्र में आबकारी थाना नवलगढ़ में उदभुत होने वाले प्रकरण 3. नवसृजित पुलिस थाना गोठड़ा के क्षेत्राधिकार में उदभुत होने वाले समस्त प्रकृति के आपराधिक प्रकरण (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू के क्षेत्राधिकार एवं ग्राम न्यायालय नवलगढ़ के क्षेत्राधिकार से भिन्न प्रकरण)
2.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, नवलगढ़	1. पुलिस थाना नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ के क्षेत्राधिकार में उदभुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। 2. नवसृजित पुलिस थाना गोठड़ा के क्षेत्राधिकार में उदभुत होने वाले आपराधिक प्रकरण जो ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं

उपरोक्त व्यवस्था में मात्र नवसृजित पुलिस थाना सुलताना एवं पुलिस थाना गोठड़ा का क्षेत्राधिकार नवप्रदत्त है। उपरोक्त प्रस्ताव के उपरान्त भी क्षेत्राधिकार के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू को होगा। उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी किया जाता है।

05/9/23
(पुरवा चतुर्वेदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
झुन्झुनू

क्रमांक 282 — 311 दिनांक 04.09.2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:—

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, झुन्झुनू।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू (समस्त थानाधिकारियेां को सूचित करने बाबत)।
4. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/नवलगढ़/उदयपुरवाटी/पिलानी।
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू/चिड़ावा/पिलानी/बुहाना/ खेतड़ी/उदयपुरवाटी/सूरजगढ़
6. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट झुन्झुनू।
7. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय नवलगढ़।
8. जिला आबकारी अधिकारी, झुन्झुनू (समस्त आबकारी वृत्तों एवं थानों को सूचित करने बाबत)।
9. जिला परिवहन अधिकारी, झुन्झुनू।
10. पुलिस थाना पी.बी.आई. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
11. अध्यक्ष, बार संघ, झुन्झुनू/चिड़ावा/पिलानी/उदयपुरवाटी/नवलगढ़/ खेतड़ी/बुहाना/सूरजगढ़।
12. कोर्ट मैनेजर, उपरोक्त सभी को ई—मेल करने हेतु।
13. नोटिस बोर्ड।
14. संबंधित पत्रावली।

05/9/23
(पुरवा चतुर्वेदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,